


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मादि के संबंध में जारी विभागीय नियुक्ति आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान	संशोधन
1	2.	3	4
1	श्री अकील अहमद	रामावि खरखेडी, श्रीनगर अजमेर	प्रधानाध्यापक नियुक्ति आदेश दिनांक 16.10.19 में क. सं 548 पर अंकित कार्मिक की कार्यग्रहण दिनांक 30.11.2019 तक बढ़ाई जाती है।


उक्त कार्यग्रहण अभिवृद्धि अन्तिम मानी जावे तथा निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उक्त कार्मिक की नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/प्र0अ0./संशोधन/2019-20 दिनांक 21.11.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग मुख्यालय।
2. सिस्टम एनालिस्ट-संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित कार्मिक /संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक